उभयपक्ष/उप
वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप

9.7.18

22-2-18 | पत्रावली पेश हुई
वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप.
अनुपस्थित
अधिवक्ता/प्रार्थी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप.
अनुपस्थित
पत्रावली वास्ते.... पूर्ववत्
आगामी पेशी दिनांक.... 6.6.18
को पेश हो।

6.6.18 | उभय पक्ष उप.। राजीनामा पूर्व में पेश हो चुका है, पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 7.6.18 को पेश हो।

7.6.18 | पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान का राजीनामा उभय पक्ष मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है, विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया गया जो शामिल मिसल रहेगा। राजीनामा निर्णय व डिक्री का जुज रहेगा। फर्द डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।
आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

19.6.18 | वादी एवं प्रतिवादीगण ने प्रा.पत्र 151 CPC पेश किया कि निर्णय व डिक्री के लिपिकीय त्रुटि से प्रति. 4 व 5 का नाम लिखने से रह गया है जो लिखा जावे। तहकीक से नाम लिखने से रह गया है। प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है नाम लाल स्याही से अंकित किया जावे।

Web Copy Not Official
Scanned by CamScanner

यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

ीठासीन अधिकारी:–सुरेन्द्र सिहं पुरोहित, आर.ए.एस.

ाजस्व वाद संख्या:–107 सन् 2008

1. बन्ता सिहं
2. गुरचरण सिहं
3. दर्शन सिहं

} पिसरान श्री दयाल सिहं, जाति चमार, निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

—वादीगण—

बनाम

1. भगवान कौर बेवा दयाल सिहं, जाति चमार, निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ–
2. मु0 रूडी (पुत्री दयाल सिहं) पत्नि बाबू सिहं, जाति चमार, निवासी ढाणी चक कमाना, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
3. मु0 दर्शो (पुत्री दयाल सिहं) पत्नि दयाल सिहं, जाति चमार, निवासी ग्राम लखूवाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़– 4. [illegible] D/o दयाल सिंह W/o केसर सिंह
5. गुरजन्ट सिंह S/o दयाल सिंह } चमार, जण्डावाली
6. राजस्थान, स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़–

—प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए

उपस्थित:–

1. श्री मनीष शर्मा–अधिवक्ता–वादीगण संख्या–1 व 3
2. श्री राजेशदीपराय अधिवक्ता–वादी संख्या–2
3. श्री सोमप्रकाश शर्मा–अधिवक्ता–प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक:– 7.6.18

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वादपत्र इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण के पिता श्री दयाल सिहं चक 10 जे0आर0के0 के खाता संख्या–42/38 के पत्थर नम्बर–77/241 (3) के किला नमबर–6 ता 25 कुल 20 बीघा अनकमाण्ड रकबा आंवटित था जिसमें स्व0 श्री दयाल सिहं को खातेदारी अधिकार प्राप्त है। श्री दयाल सिहं का दिनांक 5.12.2006 को देहान्त हो चुका है। वादीगण ने यह भी कथन किया कि स्व0 श्री दयाल सिहं ने अपने जीवनकाल में अपनी उपरोक्त 20 बीघा कृषि भूमि की दिनांक 28.10.2006 को स्वेच्छा से व दुरूस्ती होश हवास व रूबरू गवाहान अपने पुत्रों वादीगण संख्या–2 व 3 व प्रतिवादी संख्या–5 की सेवा चाकरी से खुश होकर वसीयतनामा निष्पदित कर पंजीबद्व करवाया था। स्व0 दयाल सिहं के फौत होने के वादीगण ने वसीयतनामा दिनांक 28.102006 के आधार पर अपने इन्तकाल दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार हनुमानगढ़ के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया था लेकिन तहसीलदार हनुमानगढ़ वादीगण की वसीयत की कार्यवाही के बावजूद वादीगण को बिना सुने विरास्तन इन्तकाल दर्ज कर दिया। उक्त विरास्तन इन्तकाल दर्ज होने के प्रतिवादीगण 1 ता 4 प्रश्नगत कृषि भूमि पर बैंक से ऋण लेकर अधिभारित करने व प्रश्नगत कृषि भूमि बेचने का वादीगण को पता चलने पर वादीगण प्रश्नगत दावा प्रस्तुत कर वादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा तथा इस आशय की घोषणा चाही कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या–5 दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 28.10.2006 जो मृतक दयाल सिहं बहक़ वादीगण व प्रतिवादी संख्या–5 के पक्ष में स्वेच्छा से रूबरू गवाहान तहरीर व तकसीमी कर पंजीबद्व करवाया गया है, के आधार पर वादग्रस्त चक 10 जेआरके 20 बीघा अनकमाण्ड के बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण ने हाजिर आकर वादीगण के वादपत्र का विरोध कर जबावदावा

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या–5 के पक्ष में हुई वसीयत के तथ्यों से इन्कार किया।

वादीगण प्रतिवादीगण के जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम किये गये कथनों के सम्बन्ध जबावुल जवाब भी प्रस्तुत किया। वादीगण के वादपत्र में जबावुल अभिलेख पर लेने पर तनकीयात् कायम कर वादीगण की ओर से पीडब्ल्यू–1 बन्ता सिहं व पीडब्ल्यू–2 राजा सिहं तथा पीडब्ल्यू–3 जितेन्द्र के ब्यान लेखवद्व करवाये।

दौराने दावा वादीगण दिनांक 10–07–2017 को राजस्व अभियान में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया तथा मुताबिक राजीनामा वादपत्र का निस्तारण करने का निवेदन का निवेदन किया। राजीनामा में वादीगण ने यह कथन किये चक 10 जेआरके के पत्थर नम्बर–77/241 (3) के किला नम्बर–6 ता 25 कुल तादादी 5.060 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या–5 का 3.795 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर व प्रतिवादीगण संख्या–2 से 4 बहिस्सा बराबर 1.265 हैक्टेयर के खातेदार घोषित किये जावे व प्रतिवादिया संख्या–1 का नाम प्रश्नगत खाता से कलमजन किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि वादीगण व प्रतिवादीगण का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा हो गया। मुताबिक राजनीामा वादीगण का वादपत्र चक 10 जेआरके के पत्थर नम्बर–77/241 (3) के किला नम्बर–6 ता 25 कुल तादादी 5.060 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या–5 का 3.795 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर व प्रतिवादीगण संख्या–2 से 4 बहिस्सा बराबर 1.265 हैक्टेयर के खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि चक 10 जेआरके के पत्थर नम्बर–77/241 (3) के किला नम्बर–6 ता 25 कुल तादादी 5.060 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या–5 का 3.795 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर व प्रतिवादीगण संख्या–2 से 4 को 1.265 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादिया संख्या–1 का नाम प्रश्नगत खाता से कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार बाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी कर संलग्न की जावे। व्यय वाद उभय पक्ष वादीगण/प्रतिवादीगण स्वंय अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 7.6.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिहं पुरोहित)
सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी
(राजस्व) हनुमानगढ

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
ालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़

सीन अधिकारीः–सुरेन्द्र सिहं पुरोहित, आर.ए.एस.

स्व वाद संख्याः–107 सन् 2008

1. बन्ता सिहं
2. गुरचरण सिहं
3. दर्शन सिहं

} पिसरान श्री दयाल सिहं, जाति चमार, निवासी जण्डावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––वादीगण––

बनाम

1. भगवान कौर बेवा दयाल सिहं, जाति चमार, निवासी जण्डावाली, तहसील व जिला हनुमानगढ–
2. मु0 रूड़ी (पुत्री दयाल सिहं) पत्नि बाबू सिहं, जाति चमार, निवासी ढ़ाणी चक कमाना, तहसील व जिला हनुमानगढ़–
3. मु0 दर्शो (पुत्री दयाल सिहं) पत्नि दयाल सिहं, जाति चमार, निवासी ग्राम लखूवाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़– 4. काश्नी D/o दयाल सिंह W/o केसर सिंह, चमार, लखूवाली
6. राजस्थान, स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़– 5. गुरजन्ट सिंह S/o दयाल सिंह, चमार, नि. जण्डावाली

––प्रतिवादीगण––

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट बाबत घोषणा तकसीम खाता।
प्रकरण संख्या 107 सन् 2008 निर्णय दिनांक 7.6.18

आज यह वाद मुझ सुरेन्द्रसिंह पुरोहित आर.ए.एस. के समक्ष अभिभाषक वादीगण संख्या 1 व 3 श्री मनीष शर्मा, अभिभाषक वादी संख्या 2 श्री राजेशदीपराय, अभिभाषक प्रतिवादीगण श्री सोमप्रकाश शर्मा की उपस्थिति में निर्णार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि वादग्रस्त भूमि चक 10 जेआरके के पत्थर नम्बर–77/241 (3) के किला नम्बर–6 ता 25 कुल तादादी 5.060 हैक्टेयर में वादीगण व प्रतिवादी संख्या–5 का 3.795 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर व प्रतिवादीगण संख्या–2 से 4 को 1.265 हैक्टेयर बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादिया संख्या–1 का नाम प्रश्नगत खाता से कलमजन करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार बाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

व्यय वाद उभयपक्ष वादी–प्रतिवादीगण स्वंय अपना–अपना वहन करेंगें। आज दिनांक 7.6.18 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़
उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner